#### **To Release Electricity Connections**

\*264. SMT. NAINA SINGH CHAUTALA, M.L.A.: Will the Power Minister be pleased to state the time by which the electricity connections for tubewells are likely to be released by the Government in Dark Zone area together with the details thereof?

The following reply is submitted:

### Ranjit Singh, Power Minister

Sir, no time limit can be given in the light of the guidelines issued by the Central Ground Water Authority that no agriculture tubewell connection should be released in the notified areas / dark zone.

#### NOTE FOR PAD

It has been decided in compliance to Central Ground Water Authority guidelines that in future, no agriculture tubewell connection should be released in the notified areas / dark zone.

The electricity connections for tubewell **for drinking water purposes only** (applied by Public Health authorities / HUDA / MC and other Govt. Departments including by developers and other Pvt. Sectors organisation) shall be given after the applicant has obtained permission from authorised officer. The said permission would be granted by the District Administrative Heads (Deputy Commissioner/ District Magistrate/District Collector) in consultation with the advisory committee constituted for this purpose.

In the State of Haryana, the notified areas are as under:

Sr.	STATE	Date of	
No			Notification
1	Haryana	Municipal Corporation of Faridabad &	14.10.1998
		Ballabhgarh	
2	Haryana	Shahbad Block of Kurukshetra District	2.12.2006
3	Haryana	Nangal Chowdhary Block of	2.12.2006
		Mahendragarh District	
4	Haryana	Narnaul Block of Mahendragarh District	2.12.2006
5	Haryana	Samalkha Block of Panipat District	2.12.2006
6	Haryana	Karnal Block of Karnal District	2.12.2006
7	Haryana	Khol Block of Rewari District	2.12.2006
8	Haryana	Entire Gurgaon District	13.08.2011
9	Haryana	Badra block of Bhiwani District	13.08.2011
10	Haryana	Ladwa block of Kurukshetra District	13.08.2011
11	Haryana	Pehowa block of Kurukshetra District	13.08.2011
12	Haryana	Rania block of Sirsa District	13.08.2011
13	Haryana	Tohana block of Fatehbad District	13.08.2011
14	Haryana	Gulha block of Kaithal District	13.08.2011
15	Haryana	Bapoli block of Panipat District	13.08.2011
16	Haryana	Rajaund block of Kaithal District	27.11.2012
17	Haryana	Ellenabad block of Sirsa District	27.11.2012

Further, some of the cases have been reported where consumers are seeking either shifting of tubewell and extension of load on following grounds:

- 1. Due to continuous depletion of ground water level, consumer wants to increase the capacity of existing motors. For this purpose, consumers are approaching for extension of load for their existing AP connection.
- 2. In some of the cases, where land has been acquired by the Govt. agency and existing bore has been filled-up. Consumers have drilled another bore in same notified area and have requested for shifting of earlier AP connection.
- 3. In case of failure of existing bore, consumers are requesting for shifting of existing AP connection.

Keeping in view of above, matter was referred to Regional Director, Central Ground Water Board, North Western Region, Chandigarh for imparting necessary directions / advice in the matter. Advice has since been received vide letter bearing reference No. 21-4/NWR/CGWA/2012-1574 dated 01.08.18, as per which, in case of failure of bore due to depletion of water level and land acquisition by Govt. agency, shifting of AP connection in notified area may be allowed as per following guidelines: -

"District Commissioner is the Authorized officer for according any permission for abstraction of ground water, it has been requested that such cases may be considered as replacement of existing bore wells. It must be ensured that the existing bore wells which have become non-operational are completely sealed. It must also be ensured that the quantum of ground water withdrawal from new wells should not exceed the present quantum of ground water withdrawal. Farmers should also be impressed upon to adopt water conversations measures."

# बिजली कुनैक्षन जारी करना

\*264. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, एम.एल.ए.: क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि डार्क जोन क्षेत्र में सरकार द्वारा नलकूपों के लिए बिजली कुनैक्शन कब तक जारी किए जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

# रणजीत सिंह, बिजली मंत्री

श्रीमान, इस संदर्भ में कोई भी समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के दिशा—निर्देशों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों / डार्क जोन में कोई भी कृषि नलकूप कनैक्शन जारी नहीं किया जा सकता।

## पैड के लिए नोट

केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के दिशा—निर्देशों की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में, अधिसूचित क्षेत्रों / डार्क जोन में कोई भी कृषि नलकूप कनैक्शन जारी नहीं करना चाहिए।

केवल पीने के पानी के उद्देश्यों के लिए नलकूप हेतु बिजली कनैक्शन (जन स्वास्थ्य प्राधिकरण / हुडा / एम.सी. तथा डिवेलपर्स द्वारा अन्य सरकारी विभागों सिहत तथा अन्य निजी क्षेत्र संस्थान) केवल आवेदक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमित लेने के बाद ही दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए गठित की गई सलाहकार सिमित के साथ परामर्श से जिला प्रशासनिक मुखिया (डिप्टी कमीशनर / जिला मैजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर) द्वारा उक्त अनुमित दी जाएगी।

हरियाणा राज्य में, अधिसूचित क्षेत्र निम्न प्रकार से है:--

क्र.	राज्य	स्थान	अधिसूचना की तिथि
सं.			8
1	हरियाणा	फरीदाबाद एवं बल्लभगढ़ के नगर निगम	14.10.1998
2	हरियाणा	जिला कुरूक्षेत्र का शाहबाद ब्लॉक	02.12.2006
3	हरियाणा	जिला महेन्द्रगढ़ का नांगल चौधरी ब्लॉक	02.12.2006
4	हरियाणा	जिला महेन्द्रगढ़ का नारनौल ब्लॉक	02.12.2006
5	हरियाणा	जिला पानीपत का समालखा ब्लॉक	02.12.2006
6	हरियाणा	जिला करनाल का करनाल ब्लॉक	02.12.2006
7	हरियाणा	जिला रेवाड़ी का खोल ब्लॉक	02.12.2006
8	हरियाणा	सम्पूर्ण गुड़गांव जिला	13.08.2011
9	हरियाणा	जिला भिवानी का बाढ़ड़ा ब्लॉक	13.08.2011
10	हरियाणा	जिला कुरूक्षेत्र का लाडवा ब्लॉक	13.08.2011
11	हरियाणा	जिला कुरूक्षेत्र का पेहवा ब्लॉक	13.08.2011
12	हरियाणा	जिला सिरसा का रानियां ब्लॉक	13.08.2011
13	हरियाणा	जिला फतेहाबाद का टोहाना ब्लॉक	13.08.2011
14	हरियाणा	जिला कैथल का गुलहा ब्लॉक	13.08.2011

15	हरियाणा	जिला पानीपत का बापोली ब्लॉक	13.08.2011
16	हरियाणा	जिला कैथल का राजौंद ब्लॉक	27.11.2012
17	हरियाणा	जिला सिरसा का ऐलनाबाद ब्लॉक	27.11.2012

आगे, कुछ मामले बताए गए है जहां उपभोक्ता निम्नलिखित ग्राउंड पर या तो लोड बढ़ाने अथवा नलकूप शिफ्ट करने की इच्छा जता रहे है:—

- 1. भूमिगत जल स्तर की निरन्तर कमी के कारण, उपभोक्ता अपनी वर्तमान मोटरों की क्षमता बढ़ाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए, उपभोक्ता अपने वर्तमान ए.पी. कनैक्शन का लोड बढवाने के लिए आ रहे है।
- 2. कुछ मामलों में, जहां भूमि का अधिग्रहण सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया तथा वर्तमान बोर बंद कर दिया गया है, वहां उपभोक्ताओं ने उसी अधिसूचित क्षेत्र में दूसरा बोर कर दिया तथा पहले वाले ए.पी. कनैक्शन को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया है।
- 3. वर्तमान बोर की विफलता के मामले में, उपभोक्ता अपने वर्तमान ए.पी. कनैक्शन को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में सलाह/आवश्यक दिशा—निर्देश देने के लिए मामला क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उत्तर—पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को भेजा गया है। चूंकि पत्र संदर्भ संख्या 21—4/एन.डब्ल्यू.आर./सी.जी. डब्ल्यू.ए./2012—1574 दिनांक 01.08.2018 के तहत सलाह ले ली गई है, जिसके अनुसार सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा जल स्तर की कमी के कारण बोर की विफलता के मामले में, अधिसूचित क्षेत्र में एपी कनैक्शन की शिफिंटग की अनुमति निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के अनुसार दी जा सकती है:—

'जिला कमीशनर भूमिगत जल के प्रवाह हेतु कोई भी अनुमित प्रदान करने के लिए प्राधिकृति अधिकारी है, यह अनुरोध किया गया है कि ऐसे मामलों पर वर्तमान बोर वैल के प्रतिस्थापन पर विचार किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान में जो बोर वैल चालू नहीं हैं, उनको पूरी तरह सील किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नए कुओं से भूमिगत जल निकासी की मात्रा भूमिगत जल निकासी की वर्तमान मात्रा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए''।